

स. वि. विभाग अ. वि. विभाग अ. वि. विभाग  
सफा नया एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003  
प्रति  
सं. 422 G  
दि. 24/7/15

1009/24/15  
24/7/15

-499-

F.No.34/ 04 /2015-C&W  
Government of India  
Ministry of Civil Aviation  
(Coordination and Welfare Section)

B-Wing, Rajiv Gandhi Bhawan,  
Safdarjung Airport, New Delhi,  
Dated 14<sup>th</sup> July, 2015.

To,

1. The Director General of Civil Aviation, (Smt. M. Sathiyavathy, Director General), Opposite Safarjung Airport, New Delhi-110003.
2. The Bureau of Civil Aviation Security, (Shri B.B.Dash, Jt. Commissioner of Security Civil Aviation), Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi - 110001.
3. The Chief Commissioner of Railway Safety, (Shri R.K. Kardam, Chief Commissioner of Railway Safety), N.E.Railway DRM Office Campus, Ashok Marg, Lucknow-226001.
4. The Airports Economic Regularity Authority, (Shri Alok Shekhar, Secretary), Rajiv Gandhi Bhavan New Delhi.
5. The Airports Authority of India, (Shri R.K. Srivastava, Chairman), Safdarjung Airport, New Delhi -110003.
6. The Air India Limited, (Shri Rohit Nandan, Chairman and MD), Air India Building, Nariman Point, Mumbai -400021
7. The Pawan Hans Limited, (Kind Atten: Dr. B.P. Sharma, CMD), C-14, Sector-1, Noida distict Gautambudhnagar-201301.
8. The Indira Gandhi Rashtriya uran Academy, (Shri V.K. Verma, Director), Fursatganj Airfield, Raebarely (U.P.)-229302.

Subject:- Implementation of Social Security Schemes pertaining to the Insurance and Pension sector-FAQs.

Sir,

Please find enclosed a copy O.M. No. 12011/2/2015-Ins.II dated 30<sup>th</sup> June, 2015 received from Ministry of Finance, Department of Financial Service (Insurance Davison), on the subject mentioned above for information.

Yours faithfully,

(Sanjay Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 24640214

**Encl:As above**

Under Secretary (Admn.)

2.84195/15  
2/3/2015  
2/3/2015

F. No. 12011/2/2015-Ins.II  
Government of India/भारतसरकार  
Ministry of Finance/वित्तमंत्रालय  
Department of Financial Services/वित्तीयसेवाएंविभाग  
(Insurance Division)

Sy: NU  
2/3

~~JSCAS~~  
2/7

Jeevan Deep Building,  
Sansad Marg, New Delhi,  
Dated the 30th June, 2015

OFFICE MEMORANDUM


Sub: Implementation of Social Security Schemes pertaining to the Insurance and Pension sector-FAQs.

As you would be aware the Hon'ble Prime Minister had launched three Social Security Schemes pertaining to the Insurance and Pension sector, namely the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and an old age income security pension scheme, the Atal Pension Yojana (APY), Nationally on 9<sup>th</sup> May 2015 to move towards creating a universal social security system, targeted especially at the poor and the under-privileged.

2. I am happy to inform that the implementation of these schemes is being done in the right earnest with wide publicity. A Mission office has been set up in this Department to coordinate and monitor enrolment under these schemes. An exclusive website [www.jansuraksha.gov.in](http://www.jansuraksha.gov.in) has also been created with all relevant material / information, including forms, FAQs etc.

3. It is understood that a number of questions have been raised by various individuals / parties regarding the details of the schemes and the benefits available under them. As such, a comprehensive set of "Frequently Asked Questions" with answers pertaining to these schemes, both in English and Hindi, is enclosed herewith for your ready reference.

Encl.: As above

  
(N. Srinivasa Rao)  
Director  
Ph.: 23365808

To  
All Secretaries to Government of India (As per list)

DS (FND)  
US (SS)

Rel 10/7

3/3/15

Soc Sec

8/2/15 K.K.

501-

## FAQs on PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA (PMJJBY)

### **Q1. What is the nature of the scheme?**

The scheme is a one year cover Term Life Insurance Scheme, renewable from year to year, offering life insurance cover for death due to any reason.

### **Q2. What would be the benefits under the scheme and premium payable?**

Rs.2 lakhs is payable on a subscriber's death due to any reason. The premium payable is Rs.330/- per annum per subscriber.

### **Q3. How will the premium be paid?**

The premium will be deducted from the account holder's bank account through 'auto debit' facility in one instalment, as per the consent to be given on enrolment. Members may also give one-time mandate for auto-debit every year till the scheme is in force, subject to re-calibration that may be deemed necessary on review of experience of the scheme.

### **Q4. Who will offer / administer the scheme?**

The scheme would be offered / administered through LIC and other Life Insurance companies willing to offer the product with necessary approvals on similar terms, in collaboration with participating Banks. Participating banks are free to engage any such life insurance company for implementing the scheme for their subscribers.

### **Q5. Who will be eligible to subscribe?**

All individual (single or joint) bank account holders in the age 18 to 50 years in participating banks will be entitled to join. In case of multiple bank accounts held by an individual in one or different banks, the person would be eligible to join the scheme through **one** bank account only.

### **Q6. What is the enrolment period and modality?**

Initially on launch for the cover period from 1<sup>st</sup> June 2015 to 31<sup>st</sup> May 2016 subscribers were expected to enrol and give their auto-debit option by 31<sup>st</sup> May 2015, which has been extended up to 31<sup>st</sup> August 2015. Enrolment subsequent to this date will be possible prospectively on payment of full annual payment and submission of a self-certificate of good health.

Subscribers who wish to continue beyond the first year will be expected to give their consent for auto-debit before each successive May 31<sup>st</sup> for successive years. Delayed renewal subsequent to this date will be possible on payment of full annual premium and submission of a self-certificate of good health.

### **Q7. Can eligible individuals who fail to join the scheme in the initial year join in subsequent years?**

Yes, on payment of premium through auto-debit and submission of a self-certificate of good health. New eligible entrants in future years can also join accordingly.

### **Q8. Can individuals who leave the scheme re-join?**

Individuals who exit the scheme at any point may re-join the scheme in future years by paying the annual premium and submitting a self-declaration of good health.

**Q9. Who would be the Master policy holder for the scheme?**

Participating Banks will be the Master policy holders. A simple and subscriber friendly administration & claim settlement process has been finalized by LIC / chosen insurance company in consultation with the participating bank.

**Q10. When can the assurance on life of the member terminate?**

The assurance on the life of the member shall terminate / be restricted accordingly on any of the following events:

- i. On attaining age 55 years (age near birth day), subject to annual renewal up to that date (entry, however, will not be possible beyond the age of 50 years).
- ii. Closure of account with the Bank or insufficiency of balance to keep the insurance in force.
- iii. In case a member is covered through more than one account and premium is received by LIC / insurance company inadvertently, insurance cover will be restricted to Rs. 2 Lakh and the premium shall be liable to be forfeited.

**Q11. What will be the role of the insurance company and the Bank?**

- i. The scheme will be administered by LIC or any other Life Insurance company which is willing to offer such a product in partnership with a bank / banks.
- ii. It will be the responsibility of the participating bank to recover the appropriate annual premium in one instalment, as per the option, from the account holders on or before the due date through 'auto-debit' process and transfer the amount due to the insurance company.
- iii. Enrolment form / Auto-debit authorization / Consent cum Declaration form in the prescribed proforma, as required, shall be obtained and retained by the participating bank. In case of claim, LIC / insurance company may seek submission of the same. LIC / Insurance Company also reserve the right to call for these documents at any point of time.

**Q12. How would the premium be appropriated?**

- a. Insurance Premium to LIC /other insurance company: Rs.289/- per annum per member;
- b. Reimbursement of Expenses to BC/Micro/Corporate/Agent : Rs.30/- per annum per member;
- c. Reimbursement of Administrative expenses to participating Bank: Rs.11/- per annum per member.

**Q13. Will this cover be in addition to cover under any other insurance scheme the subscriber may be covered under?**

Yes.

**Q14. Can all holders of a joint bank account join the scheme through the said account?**

In case of a joint account, all holders of the said account can join the scheme provided they satisfy its eligibility criteria and pay the premium at the rate of Rs.330 per person per annum.

**Q15. Are NRIs eligible for coverage under PMJJBY?**

Any NRI having an eligible bank account with a bank branch located in India is eligible for purchase of PMJJBY cover subject to fulfilment of the terms and conditions relating to the scheme. However, in case a claim arises, the claim benefit will be paid to the beneficiary/ nominee only in Indian currency.

304

**Q16. Which Bank Accounts are eligible for subscribing to PMJJBY?**

All bank account holders other than institutional account holders are eligible for subscribing to PMJJBY scheme.

**Q17. Does the PMJJBY cover death / disability resulting from natural calamities such as earthquake, flood and other convulsions of nature? What about coverage from suicide / murder?**

All these events are covered as PMJJBY covers death due to any reason.

**Q18. Are PMJJBY policies being introduced and serviced in association with foreign insurance Companies?**

There are no foreign insurance Companies directly operating in India. As permitted by the Insurance Act and IRDA Regulations there are some foreign Companies in joint ventures with Indian companies, where the stake of foreign insurers is restricted to 49% only.

**Q.19. Contrary to other Life Insurance products, benefit under PMJJBY is payable only to nominee of the insured on the death of the insured. Why is there no maturity benefit or surrender value, which is available in normal life insurance policies?**

The cover under PMJJBY is for death only and hence benefit will accrue only to nominee. PMJJBY is a pure term insurance policy, which covers only mortality with no investment component. The pricing is also accordingly low when compared to other life insurance policies where maturity benefits, surrender value etc. is available. It has been designed to provide life insurance cover to weaker sections of the society. With this aim, the premium is kept low, eliminating the investment component.

**Q.20. Will the PMJJBY scheme which is being promoted aggressively and sold in large numbers accrue huge profits to the foreign insurance Companies who in joint venture with Indian entities have floated life insurance companies and are operating this insurance cover?**

Only Indian Insurance Companies as defined in the Insurance Act can operate in India. The policy holders' funds of all such insurance companies operating in India including those with foreign partners within the 49% cap are to be invested in India as per regulations and cannot be invested abroad. The premium charged for PMJJBY has been worked out based on actuarial calculations taking into account all risk factors, current mortality rates and adverse selection. Thus there is no scope for any huge profits accruing from the scheme.

**Q.21. Why are foreign insurance Companies associated with PMJJBY when LIC which is a government owned corporation could have managed this scheme launched by the government?**

There are 24 Life insurance companies operating in India, who are licensed by IRDAI to carry on life insurance business in India. To promote competition and better pricing and service to customers, all these companies are permitted to participate. Moreover, they are all Indian insurance companies. Their foreign partners, if any, have only a stake in these companies within the

stipulated 49% cap. However, LIC is still the primary insurer involved in operation of the scheme.

**Q.22. In case of non-settlement of claims is it possible to proceed legally against the foreign insurers in India?**

There are no foreign insurance Companies directly operating in India. As permitted by the regulations there are Companies operating as joint ventures with Indian companies, where the stake of foreign insurers is restricted to 49% only. By definition, these are Indian insurance companies. All these companies are subject to Indian laws and there is no bar against proceeding legally against them.

**Q.23. Rates of premium may be increased, or the Companies may discontinue the schemes in future.**

Insurance is like any other product. While rates can go up in future, with 24 life insurance Companies operating in India, due to competition among them, prices are likely to remain stable. It is expected that with the design of the PMJJBY cover and its pricing, the scheme will be viable, and there is little chance of discontinuing. In any event, even if a particular company discontinues, banks have several other options to tie up with.

\*\*\*\*\*

506.

## प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**प्रश्न सं-1 योजना की प्रकृति क्या है?**

यह एक वर्ष की टर्म जीवन बीमा कवर योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीनीकरणीय है, और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है।

**प्रश्न सं-2 योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या होगा?**

किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर रु2 लाख देय है। प्रीमियम राशि रु 330/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष है।

**प्रश्न सं-3 प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?**

नामांकन में दी गयी सहमति के अनुसार यह प्रीमियम राशि खातधारक के बैंक खाते से "ऑटो डेबिट" सुविधा के अनुसार एक किस्त में काट ली जाएगी। योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुनःजांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्यधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष "ऑटो डेबिट" का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

**प्रश्न सं-4 योजना को प्रस्तावित/संचालित कौन करेगा?**

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रस्तुत/उनके द्वारा प्रशासित है तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियाँ, आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर समान शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती हैं। सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी से सम्बद्ध होकर अपने ग्राहकों हेतु यह योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**प्रश्न सं-5 सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?**

सहभागी बैंकों के सभी बैंक खाताधारक (एकल/संयुक्त), जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे। किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हों, तो ऐसे मामलों में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

**प्रश्न सं-6 नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?**

प्रारंभ में, 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए, सदस्यों को 31 मई, 2015 तक योजना में अपना नामांकन करवाना था तथा 31 मई, 2015 तक, स्वतः नामे की

सहमति देनी थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2015 कर दिया गया है। इस तिथि के पश्चात् कवर प्राप्त करने के लिए नामांकन आगामी तिथि से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव होगा।

जो सदस्य प्रथम वर्ष के पश्चात् सदस्यता जारी रखना चाहते हैं, उन्हें बाद के वर्षों के लिए प्रत्येक 31 मई से पूर्व अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी। इस तिथि के पश्चात् लंबित नवीकरण पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है।

**प्रश्न सं-7 क्या वे पात्र व्यक्ति जो की प्रारम्भिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए ,बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?**

जी हाँ, ऑटो डेबिट से प्रीमियम भुगतान कर निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते है। नए पात्र सदस्य भविष्य के वर्षों में इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं।

**प्रश्न सं-8 क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?**

इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर तथा निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकता है।

**प्रश्न सं-9 योजना के लिए मास्टर पालिसी धारक कौन होगा?**

सहभागी बैंक मास्टर पालिसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात्, जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।

**प्रश्न सं-10 सदस्य के जीवन के संबंध में बीमा कब समाप्त होगा?**

सदस्य के जीवन का बीमा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा:

- क) 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश, हालांकि, 50 वर्ष की आयु पर संभव नहीं होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो।



308

ख) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर।

ग) यदि सदस्य एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर रु 2 लाख तक सीमित होगा तथा प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।

**प्रश्न सं-11 बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?**

(क) यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी, जो बैंक/बैंकों की सम्बद्धता से इन्हीं शर्तों पर उत्पाद प्रदान करना चाहती है, के माध्यम से प्रस्तुत/प्रशासित की जाएगी।

(ख) खाताधारकों से देय तिथि पर या उस से पूर्व ऑटो डेबिट प्रक्रिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत प्रीमियम की एक किस्त में वसूली तथा बीमा कंपनी को देय राशि प्रेषित करने की ज़िम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी।

(ग) निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फार्म/ऑटो डेबिट प्राधिकार/सहमति सह घोषणा पत्र सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएँगे। दावों के मामलों में, एलआईसी/बीमा कम्पनी इन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार एलआईसी/बीमा कम्पनी के पास सुरक्षित है।

**प्रश्न सं-12 प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?**

एलआईसी/ बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम : रु 289/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्ति : रु 30/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति : रु 11/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

**प्रश्न सं-13 क्या सदस्य को यह कवर, किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त कवर के अतिरिक्त होगा?**

जी, हां।

**प्रश्न 14.** क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी खाताधारक उक्त खाते के जरिए योजना में शामिल हो सकते हैं?

संयुक्त खाते के मामले में उक्त खाते के सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 330 रुपए की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

**प्रश्न 15.** क्या पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत एनआरआई कवरेज के लिए पात्र हैं?

कोई भी एनआरआई जिसका भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में उपयुक्त बैंक खाता हो पीएमजेजेबीवाई कवरेज लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे योजना से संबंधित शर्तों को पूरा करते हों। तथापि, यदि दावा उत्पन्न होता है, तो दावा लाभ लाभार्थी/नामिती को केवल भारतीय मुद्रा में दिया जाएगा।

**प्रश्न 16.** पीएमजेजेबीवाई में सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते पात्र हैं?

संस्थागत खाताधारकों के अलावा सभी बैंक खाताधारक पीएमजेजेबीवाई योजना में सदस्यता के लिए पात्र हैं।

**प्रश्न 17.** क्या पीएमजेजेबीवाई प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक कंपनों के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु/अपंगता को कवर करती है? आत्महत्या/हत्या के कवरेज के संबंध में क्या है?

उपर्युक्त सभी घटनाएं पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु के अंतर्गत शामिल हैं।

**प्रश्न 18.** क्या पीएमजेजेबीवाई पॉलिसियां विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से आरंभ की जा रही हैं तथा इस संबंध में सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं?

कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। बीमा अधिनियम तथा आईआरडीए विनियम के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में हैं; जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49% तक सीमित रखा गया है।

**प्रश्न 19.** अन्य जीवन बीमा उत्पादों के विपरीत पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत लाभ बीमित की मृत्यु पर ही बीमित के नामिती को देय है। इसमें परिपक्वता लाभ या अभ्यर्पण मूल्य क्यों नहीं है, जो सामान्य जीवन बीमा पॉलिसियों में उपलब्ध है?

पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवर केवल मृत्यु के लिए है अतः लाभ केवल नामिती को दिया जाएगा। पीएमजेजेबीवाई एक पूर्ण टर्म बीमा पॉलिसी है जो केवल मृत्यु को कवर करता है और इसमें कोई निवेश संघटक नहीं है। अन्य जीवन बीमा पॉलिसियों, जिनमें परिपक्वता लाभ, अभ्र्यपण मूल्य आदि उपलब्ध हैं, की तुलना में तदनुसार इसका प्रीमियम कम है। इसे समाज के कमजोर वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इस लक्ष्य के साथ निवेश संघटक को समाप्त करते हुए प्रीमियम को कम रखा गया है।

**प्रश्न 20.** क्या पीएमजेजेबीवाई योजना, जिसे आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में बेचा जा रहा है, के द्वारा भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम में शामिल विदेशी बीमा कंपनियों, जिन्होंने जीवन बीमा कंपनियों आरम्भ की हैं और इस जीवन बीमा कवर के संबंध में कार्य कर रही हैं, को भारी लाभ हो रहा है?

बीमा अधिनियम में निर्धारित केवल भारतीय बीमा कंपनियां भारत में कारोबार कर सकती हैं। भारत में कार्यरत ऐसी सभी बीमा कंपनियों, इसमें 49% की अधिकतम सीमा के भीतर विदेशी भागीदार वाली कंपनियां भी शामिल हैं, के सभी पॉलिसीधारक निधियों को विनियम के अनुसार भारत में निवेश किया जाना है और इसे विदेश में निवेश नहीं किया जा सकता। पीएमजेजेबीवाई के लिए प्रभारित प्रीमियम का निर्धारण सभी जोखिम घटकों, वर्तमान मृत्यु दर तथा प्रतिकूल चयन को ध्यान में रखते हुए बीमांकक परिकलन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस योजना से भारी लाभ की कोई संभावना नहीं है।

**प्रश्न 21.** पीएमजेजेबीवाई के साथ विदेशी बीमा कंपनियां क्यों संबद्ध हैं, जबकि एलआईसी, जो सरकार के स्वामित्व वाला निगम है, सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस योजना का प्रबंधन कर सकता है?

भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां कार्यरत हैं, जिन्हें भारत में जीवन बीमा कारोबार करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस दिया गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों को बेहतर मूल्य तथा सेवा प्रदान करने के लिए इन सभी कंपनियों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ये सभी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। उनके विदेशी भागीदार, यदि कोई हो, का इन कंपनियों में केवल 49% की निर्धारित सीमा के अंतर्गत शेयर है। तथापि, एलआईसी अभी भी योजना के कार्यान्वयन में शामिल मुख्य बीमाकर्ता है।

**प्रश्न 22.** दावों के निपटान न किए जाने के मामलों में क्या भारत में विदेशी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना संभव है?

कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। विनियम के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में हैं,

जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49% तक सीमित रखा गया है। परिभाषा के अनुसार ये कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां भारतीय कानून के अधीन हैं और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में कोई रुकावट नहीं है।

**प्रश्न 23.** क्या प्रीमियम की दरें बढ़ सकती हैं या भविष्य में कंपनियां इस योजना को बंद कर सकती हैं?

बीमा अन्य उत्पाद की तरह ही है। हालांकि भविष्य में इसकी दर बढ़ सकती है पर भारत में 24 बीमा कंपनियों के कार्यरत होने से इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य के स्थिर रहने की संभावना है। यह आशा है कि पीएमजेबीवाई कवर के स्वरूप तथा इस मूल्य के साथ यह योजना व्यवहार्य बनी रहेगी और इस योजना के बंद होने की बहुत कम संभावना है। किसी भी मामले में यदि कोई विशेष कंपनी इस योजना को बंद करती है, तो बैंकों के पास अन्य बीमा कंपनियों के साथ सम्बद्ध होने के कई अन्य विकल्प हैं।

\*\*\*\*\*

572

## FAQs on PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY)

### **Q1. What is the nature of the scheme?**

The scheme is a one year cover Personal Accident Insurance Scheme, renewable from year to year, offering protection against death or disability due to accident.

### **Q2. What would be the benefits under the scheme and premium payable?**

The benefits are as follows:

	<b>Table of Benefits</b>	<b>Sum Insured</b>
a.	Death	Rs. 2 Lakh
b.	Total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of hand or foot	Rs. 2 Lakh
c.	Total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot	Rs. 1 Lakh

Premium payable is Rs.12/- per annum per member.

### **Q3. How will the premium be paid?**

The premium will be deducted from the account holder's bank account through 'auto debit' facility in one installment, as per the consent to be given on enrolment. Members may also give one-time mandate for auto-debit every year till the scheme is in force, subject to re-calibration that may be deemed necessary on review of experience of the scheme.

### **Q4. Who will offer / administer the scheme?**

The scheme is offered / administered through the Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) and other General Insurance companies willing to offer the product with necessary approvals on similar terms, in collaboration with participating Banks. Participating banks are free to engage any such general insurance company for implementing the scheme for their subscribers.

### **Q5. Who will be eligible to subscribe?**

All individual (single or joint) bank account holders in the age 18 to 70 years in participating banks will be entitled to join. In case of multiple bank accounts held by an individual in one or different banks, the person would be eligible to join the scheme through **one** bank account only.

### **Q6. What is the enrolment period and modality?**

Initially on launch for the cover period from 1<sup>st</sup> June 2015 to 31<sup>st</sup> May 2016 subscribers were expected to enrol and give their auto-debit option by 31<sup>st</sup> May 2015, which has been extended up to 31<sup>st</sup> August 2015. Enrolment subsequent to this date may be possible prospectively on payment of full annual payment, subject to conditions that may be laid down.

Subscribers who wish to continue beyond the first year will be expected to give their consent for auto-debit before each successive May 31<sup>st</sup> for successive years. Delayed renewal subsequent to this date may be possible on payment of full annual premium, subject to conditions that may be laid down.

### **Q7. Can eligible individuals who fail to join the scheme in the initial year join in subsequent years?**

Yes, on payment of premium through auto-debit. New eligible entrants in future years can also join accordingly.

**Q8. Can individuals who leave the scheme rejoin?**

Individuals who exit the scheme at any point may re-join the scheme in future years by paying the annual premium, subject to conditions that may be laid down.

**Q9. Who would be the Master policy holder for the scheme?**

Participating Banks will be the Master policy holders. A simple and subscriber friendly administration & claim settlement process has been finalized by PSGICs / chosen insurance company in consultation with the participating bank.

**Q10. When can the accident cover assurance terminate?**

The accident cover of the member shall terminate / be restricted accordingly on any of the following events:

- i. On attaining age 70 years (age nearer birth day).
- ii. Closure of account with the Bank or insufficiency of balance to keep the insurance in force.
- iii. In case a member is covered through more than one account and premium is received by the insurance company inadvertently, insurance cover will be restricted to one account and the premium shall be liable to be forfeited.

**Q11. What will be the role of the insurance company and the Bank?**

- i. The scheme will be administered by PSGICs or any other General Insurance company which is willing to offer such a product in partnership with a bank / banks.
- ii. It will be the responsibility of the participating bank to recover the appropriate annual premium in one installment, as per the option, from the account holders on or before the due date through 'auto-debit' process and transfer the amount due to the insurance company.
- iii. Enrollment form / Auto-debit authorization / Consent cum Declaration form in the prescribed proforma shall be obtained, as required, and retained by the participating bank. In case of claim, PSGIC / insurance company may seek submission of the same. PSGIC / Insurance Company also reserve the right to call for these documents at any point of time.

**Q12. How would the premium be appropriated?**

- a. Insurance Premium to PSGIC / other insurance company: Rs.10/- per annum per member;
- b. Reimbursement of Expenses to BC/Micro/Corporate/Agent : Rs.1/- per annum per member;
- c. Reimbursement of Administrative expenses to participating Bank: Rs.1/- per annum per member.

**Q13. Will this cover be in addition to cover under any other insurance scheme the subscriber may be covered under?**

Yes.

**Q14. Does the PMSBY cover death / disability resulting from natural calamities such as earthquake, flood and other convulsions of nature? What about coverage of suicide / murder?**

Natural calamities being in the nature of accidents, any death / disability (as defined under PMSBY) resulting from such natural calamities is also covered under PMSBY. While death due to suicide is not covered, that from murder is covered.

**Q15. Can all holders of a joint bank account join the scheme through the said account?**

In case of a joint account, all holders of the said account can join the scheme provided they satisfy its eligibility criteria and pay the premium at the rate of Rs.12 per person per annum through auto-debit.

**Q16. Which Bank Accounts are eligible for subscribing to PMSBY?**

All bank account holders other than institutional account holders are eligible for subscribing to PMSBY scheme.

**Q17. Are NRIs eligible for coverage under PMSBY?**

Any NRI having an eligible bank account with a bank branch located in India is eligible for purchase of PMSBY cover through this account subject to fulfilment of the terms and conditions relating to the scheme. However, in case a claim arises, the claim benefit will be paid to the beneficiary/ nominee only in Indian currency.

**Q18. Is there any provision for reimbursement of hospitalisation expenses following accident resulting in death or disablement?**

No.

**Q19. Who can claim insurance benefit in case of death of the bank account holder who gave the enrolment form?**

In case of death of the Account holder who enrolled in the scheme, claim can be filed by the nominee/appointee as per the enrolment form or by the legal heir/s in case there is no nomination made by the subscriber bank account holder.

**Q20. What is the mode of payment of the claim amount?**

Disability Claim will be credited in the bank account of the insured bank account holder. Death claims will be remitted to the bank account of the nominee / legal heir(s).

**Q.21. Will the family get insurance benefit if the account holder commits suicide?**

No.

**Q.22. Is it necessary to report accidents to Police and obtain FIR for claiming benefits under the policy?**

In case of incidents like Road, Rail and similar vehicular accidents, drowning, death involving any crime etc, the accident should be reported to police. In case of incidents like snake bite, fall from tree etc, the cause should be supported by immediate hospital record.

**Q.23. If the insured is missing and death is not confirmed, will the legal heirs get benefit of insurance?**

Insurance benefit will be paid after death is confirmed, or on expiry of the period specified by law to presume death, that is seven years.

**Q.24. What benefit will be payable if a person suffers partial disability without irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot?**

No benefit will be payable.

**Q.25. Can an Account holder get claim from more than one bank where he has enrolled and premium has been debited?**

No. The insured/ Nominee shall be eligible for one claim only.

**Q.26. Are PMSBY policies being introduced and serviced in association with foreign insurance Companies?**

There are no foreign insurance Companies directly operating in India. As permitted by the Insurance Act and IRDA Regulations there are some foreign Companies in joint ventures with Indian companies, where the stake of foreign insurers is restricted to 49% only.

**Q.27. Will the PMSBY scheme which is being promoted aggressively and sold in large numbers accrue huge profits to the foreign insurance Companies who in joint venture with Indian entities have floated general insurance companies and are operating this insurance cover?**

Only Indian Insurance Companies as defined in the Insurance Act can operate in India. The policy holders' funds of all such insurance companies operating in India including those with foreign partners within the 49% cap are to be invested in India as per regulations and cannot be invested abroad. The premium charged for PMSBY has been worked out based on actuarial calculations taking into account all risk factors, current mortality rates and adverse selection. Thus there is no scope for any huge profits accruing from the scheme. In fact there is a demand to increase the premium.

**Q.28. Why are foreign insurance Companies associated with PMSBY when Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) which are government owned companies could have managed this scheme launched by the government?**

There are 21 general insurance companies operating in India, who are licensed by IRDAI to carry on general insurance business in India. To promote competition and better pricing and service to customers, all these companies are permitted to participate. Moreover, they are all Indian insurance companies. Their foreign partners, if any, have only a stake in these companies within the stipulated 49% cap. However, Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) are still the primary insurers involved in operation of the scheme.

**Q.29. In case of non-settlement of claims is it possible to proceed legally against the foreign insurers in India?**

There are no foreign insurance Companies directly operating in India. As permitted by the regulations there are Companies operating as joint ventures with Indian companies, where the stake of foreign insurers is restricted to 49% only. By



definition, these are Indian insurance companies. All these companies are subject to Indian laws and there is no bar against proceeding legally against them.

**Q.30. Rates of premium may be increased, or the Companies may discontinue the schemes in future.**

Insurance is like any other product. While rates can go up in future, with 21 general insurance Companies operating in India, due to competition among them, prices are likely to remain stable. It is expected that with the design of the PMSBY cover and its pricing, the scheme will be viable, and there is little chance of discontinuing. In any event, even if a particular company discontinues, banks have several other options to tie up with.

\*\*\*\*\*

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

**प्रश्न 1. योजना की प्रकृति क्या है?**

योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि एक वर्ष है, जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है और जो कि दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

**प्रश्न 2. योजना के अंतर्गत लाभ तथा देय प्रीमियम क्या होगा?**

लाभ निम्नानुसार है:

	लाभ की तालिका	बीमित राशि
क)	मृत्यु	2 लाख रुपये
ख)	दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	2 लाख रुपये
ग)	एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना।	1 लाख रुपये

**प्रीमियम:-** प्रत्येक सदस्य द्वारा 12/- रुपये प्रतिवर्ष।

**प्रश्न 3. प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?**

नामांकन में दी गयी सहमति के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बैंक खाते से "स्वतःनामे" सुविधा के अनुसार एक किश्त में काट ली जाएगी। योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुनःजांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्याधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष "स्वतःनामे" का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

**प्रश्न 4. योजना को प्रस्तावित/संचालित कौन करेगा?**

योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) तथा अन्य साधारण बीमा कंपनियों, जो कि समान शर्तों पर भागीदार बैंकों के सहयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके उत्पाद को प्रस्तावित करने की इच्छुक हैं, के माध्यम से प्रस्तावित/संचालित किया जाता है। इसके साथ ही, इस योजना में सहभागिता रखने वाले बैंक भी अपने पात्र ग्राहकों हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कम्पनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

**प्रश्न 5. सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?**

सहभागी बैंकों में 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त व्यक्तिगत (एकल और संयुक्त) बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है।

518

**प्रश्न 6. नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?**

01 जून, 2015 से 31 मई, 2016 तक प्रारंभ में कवर अवधि के उद्घाटन पर सदस्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपना नामांकन कराएं और स्वतः नामे (ऑटो-डेबिट) विकल्प 31 मई, 2015 तक दें। यह समय-सीमा 31 अगस्त, 2015 तक बढ़ायी जा चुकी है। इस तिथि के बाद विनिर्दिष्ट शर्तों पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में शामिल होना संभव हो सकता है। वे सदस्य जो कि पहले वर्ष के उपरांत योजना को कायम रखना चाहते हैं उन्हें आगामी वर्षों के लिए प्रत्येक अगली 31 मई से पहले स्वतः नामे के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी। इस तिथि के बाद निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना का नवीकरण संभव हो सकता है।

**प्रश्न 7. क्या वे पात्र व्यक्ति जो कि प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?**

जी, हां। स्वतः नामे के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर। तदनुसार भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी जुड़ सकते हैं।

**प्रश्न 8. क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?**

किसी भी समय योजना को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में फिर से जुड़ सकते हैं जो कि यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

**प्रश्न 9. योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?**

सहभागी बैंक मुख्य पॉलिसीधारक होंगे। सहभागी बैंकों के परामर्श से पीएसजीआईसी/चयनित साधारण बीमा कंपनी द्वारा सरल और सदस्य हितैषी प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

**प्रश्न 10. सदस्य का दुर्घटना कवर कब समाप्त हो सकता है?**

निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त/सीमित हो जाएगा:

- 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतर आयु) प्राप्त करने पर।
- बैंक खाते की समाप्ति या बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।
- यदि सदस्य एक-से अधिक खातों से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।

**प्रश्न 11. बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?**

- योजना का संचालन पीएसजीआईसी अथवा किसी अन्य साधारण बीमा कंपनी, जो कि एक बैंक/बैंकों के साथ सहभागिता में ऐसे उत्पाद को प्रस्तावित करने को इच्छुक हो, द्वारा किया जाएगा।
- खाताधारकों से प्राप्त विकल्प के अनुसार उचित वार्षिक प्रीमियम को देय तिथि को अथवा उससे पहले, स्वतः नामे प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करने तथा बीमा कंपनी को देय राशि को अंतरित करने का उत्तरदायित्व सहभागी बैंक का होगा।

- iii. अपेक्षानुसार सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन फार्म/स्वतःनामे प्राधिकरण/सहमति सह-घोषणा फॉर्म प्राप्त किया जाएगा और रखा जाएगा। दावा प्राप्त होने की स्थिति में, पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कह सकती है। पीएसजीआईसी/बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

**प्रश्न 12. प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?**

- क. पीएसजीआईसी/अन्य बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम: प्रति सदस्य 10 रुपये प्रति वर्ष;  
ख. बीसी/सूक्ष्म/कारपोरेट/एजेंट को व्ययों की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य 1 रुपये प्रति वर्ष;  
ग. भागीदार बैंक को संचालन व्यय की प्रतिपूर्ति: प्रति सदस्य 1 रुपये प्रति वर्ष।

**प्रश्न 13. क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत जिसमें सदस्य कवर हो, के कवर से अतिरिक्त होगा?**

जी, हाँ।

**प्रश्न 14. क्या पीएमएसबीवाई में भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक कंपन्नों जैसी आपदाओं से होने वाली मृत्यु/अपंगता शामिल है? क्या हत्या/आत्महत्या इसमें शामिल है?**

प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटना जैसी हैं, इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कोई मृत्यु/अपंगता (पीएमएसबीवाई में यथा परिभाषित) भी पीएमएसबीवाई में कवर की जाती है। जबकि आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है लेकिन हत्या के कारण होने वाली मृत्यु इसमें शामिल है।

**प्रश्न 15. क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से इस योजना में भाग ले सकते हैं?**

संयुक्त खाते के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे इसकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 12 रुपए की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों।

**प्रश्न 16. पीएमएसबीवाई में सदस्यता के लिए कौनसे बैंक खाताधारक पात्र हैं?**

पीएमएसबीवाई योजना में सदस्यता के लिए संस्थागत खाताधारकों को छोड़कर सभी बैंक खाताधारक पात्र हैं।

**प्रश्न 17. क्या प्रवासी भारतीय पीएमएसबीवाई में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं?**

भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता वाला कोई एनआरआई इस खाते के माध्यम से पीएमएसबीवाई बीमा की खरीद के लिए पात्र है बशर्ते कि वह इस योजना से संबंधित निबंधन एवं शर्तों को पूरा करता हो। तथापि, दावा किए जाने के मामले में दावे के लाभ का भुगतान भारतीय मुद्रा में ही हिताधिकारी/नामिती को किया जाएगा।

प्रश्न 18. दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या अपंगता के मामले में अस्पताल में भर्ती किए जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति किए जाने का कोई प्रावधान है?  
जी, नहीं।

प्रश्न 19. नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाताधारक की मृत्यु के मामले में बीमा के लाभ का दावा कौन कर सकता है?

इस योजना में नामांकन कराने वाले खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकन फॉर्म में दिए गए अनुसार नामिती/नियुक्त व्यक्ति द्वारा या अभिदाता बैंक खाताधारक द्वारा कोई नामांकन न किए जाने के मामले में कानूनी वारिस/वारिसों द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।

प्रश्न 20. दावा राशि के भुगतान का तरीका क्या है?

अपंगता संबंधी दावे बीमित बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु के दावे को नामिती/कानूनी वारिस (वारिसों) के बैंक खाते में विप्रेषित किया जाएगा।

प्रश्न 21. यदि खाताधारक आत्महत्या करता है तो क्या उसके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा?  
जी, नहीं।

प्रश्न 22. क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए दुर्घटना के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना और एफआईआर प्राप्त करना अनिवार्य है?

सड़क, रेल और अन्य वाहन संबंधी दुर्घटनाओं, डूबने, किसी अपराध के कारण होने वाली मृत्यु जैसी दुर्घटनाओं के मामले में दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस को की जानी चाहिए। सांप के काटने, पेड़ से गिरने आदि जैसी दुर्घटनाओं के मामले में दुर्घटना के समर्थन में अस्पताल के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है।

प्रश्न 23. यदि बीमित व्यक्ति लापता है और उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं होती है, तो क्या बीमा का लाभ कानूनी वारिसों को मिलेगा?

बीमा का लाभ मृत्यु की पुष्टि होने या मृत्यु मानने के लिए कानून द्वारा निर्धारित अवधि जो कि 7 वर्ष है के बीत जाने के पश्चात् बीमा के लाभ का भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न 24. एक आंख की दृष्टि की या एक हाथ या पैर के उपयोग की अक्षमता की अपूर्णनीय क्षति के बिना आंशिक अपंगता से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को क्या लाभ दिया जाएगा?

कोई लाभ देय नहीं होगा।

प्रश्न 25. क्या खाताधारक एक से अधिक बैंकों से दावे प्राप्त कर सकता है जहां उसने नामांकन कराया है और उसका प्रीमियम डेबिट किया गया है?

जी, नहीं। बीमित व्यक्ति/नामिती सिर्फ एक दावे के लिए पात्र होंगे।

प्रश्न 26. क्या पीएमएसबीवाई पॉलिसियों को विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से लागू किया जा रहा है और इससे संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं?

प्रत्यक्ष रूप से भारत में कोई विदेशी बीमा कंपनी परिचालन नहीं कर रही है। बीमा अधिनियम और आईआरडीएआई विनियमों द्वारा यथा अनुमत कुछ विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में हैं, जहां विदेशी कंपनियों के शेयर को 49% तक सीमित रखा गया है।

प्रश्न 27. क्या पीएमएसबीवाई योजना, जिसे आक्रामक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में बेचा जा रहा है, से उन विदेशी बीमा कंपनियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा जिन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में साधारण बीमा कंपनियां शुरू की हैं और इस बीमा क्षेत्र में परिचालन कर रहे हैं?

बीमा अधिनियम में यथा परिभाषित केवल भारतीय बीमा कंपनियां ही भारत में परिचालन कर सकती हैं। 49% की सीमा के भीतर विदेशी भागीदारों के साथ भारत में परिचालन कर रही ऐसी सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी धारकों की निधियों को विनियमों के अनुसार भारत में निवेश किया जाता है और इनका विदेशों में निवेश नहीं किया जा सकता है। पीएमएसबीवाई के लिए प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम सभी जोखिम तथ्यों, चालू मृत्यु दरों और प्रतिकूल चयन को ध्यान में रखते हुए बीमांकक संगणना के आधार पर तैयार किया गया है। इस प्रकार, इस योजना से बहुत लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में, प्रीमियम में वृद्धि किए जाने की मांग है।

प्रश्न 28. पीएमएसबीवाई के साथ विदेशी बीमा कंपनियों को क्यों शामिल किया गया है जबकि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां (पीएसजीआईसी) जो कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का प्रबंधन कर सकती थीं?

भारत में 21 साधारण बीमा कंपनियां परिचालन में हैं जिन्हें भारत में साधारण बीमा कारोबार करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा लाईसेंस प्रदान किया गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बेहतर मूल्य निर्धारण तथा ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए इन सभी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, वे सभी भारतीय बीमा कंपनियां हैं उनके विदेशी सहभागियों, यदि कोई हो, का इन कंपनियों में 49% की निर्धारित सीमा के अंतर्गत शेयर मात्र है। तथापि, सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां (पीएसजीआईसी) अभी भी प्राथमिक बीमाकर्ता हैं जो इस योजना के परिचालन में शामिल हैं।

प्रश्न 29. दावों के निपटान न किए जाने के मामले में क्या भारत में विदेशी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव है?

कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। विनियमों के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के संयुक्त उद्यम के रूप में हैं, जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49% तक सीमित रखा गया है। परिभाषा के अनुसार, ये कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां भारतीय कानून के अधीन हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में कोई रुकावट नहीं है।

522

प्रश्न 30. क्या प्रीमियम की दरें बढ़ सकती हैं या भविष्य में ये कंपनियां इन योजनाओं को बंद कर सकती हैं?

बीमा भी किसी अन्य उत्पाद की तरह है। जबकि भविष्य में इनकी दरें बढ़ सकती हैं, भारत में 21 साधारण बीमा कंपनियों के परिचालनरत होने से इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्यों के स्थिर रहने की संभावना है। यह आशा है कि पीएमएसबीवाई कवर के स्वरूप तथा इसके मूल्य निर्धारण के साथ यह योजना व्यवहार्य रहेगी और इस योजना के बंद होने की संभावना न के बराबर है। किसी भी स्थिति में यदि कोई कंपनी इस योजना को बंद करती है तो बैंकों के पास अन्य बीमा कंपनियों के साथ जुड़ने के अन्य विकल्प भी हैं।

\*\*\*\*\*



## Frequently Asked Questions-Atal Pension Yojana

### 1. What is Pension? Why do I need it?

A Pension provides people with a monthly income when they are no longer earning.

Need for Pension:

- Decreased income earning potential with age.
- The rise of nuclear family-Migration of earning members.
- Rise in cost of living.
- Increased longevity.

Assured monthly income ensures dignified life in old age.

### 2. What is Atal Pension Yojana?

Atal Pension Yojana (APY),<sup>1</sup> a pension scheme for citizens of India focussed on the unorganised sector workers. Under the APY, guaranteed minimum pension of Rs. 1,000/-, 2,000/-, 3,000/-, 4,000 and 5,000/- per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the subscribers.

### 3. Who can subscribe to APY?

- Any Citizen of India can join APY scheme. The following are the eligibility criteria,
  - i The age of the subscriber should be between 18 - 40 years.
  - ii He / She should have a savings bank account/ open a savings bank account.
  - iii The prospective applicant should be in possession of mobile number and its details are to be furnished to the bank during registration.
- Government co-contribution is available for 5 years, i.e., from 2015-16 to 2019-20 for the subscribers who join the scheme before 31<sup>st</sup> December, 2015 and who are not covered by any Statutory Social Security Schemes and are not income tax payers.

<sup>1</sup> The Scheme is subject to the approval of the Government.





524

**4. Who are the other social security schemes beneficiaries not eligible to receive Government co-contribution under APY?**

Beneficiaries who are covered under statutory social security schemes are not eligible to receive Government co-contribution. For example, members of the Social Security Schemes under the following enactments would not be eligible to receive Government co-contribution:

- i. Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952.
- ii. The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948.
- iii. Assam Tea Plantation Provident Fund and Miscellaneous Provision, 1955.
- iv. Seamen's Provident Fund Act, 1966.
- v. Jammu Kashmir Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1961.
- vi. Any other statutory social security scheme.

**5. How much pension will be received under APY?**

Guaranteed minimum pension of Rs 1,000/-, 2,000/-, 3,000/-, 4,000 and 5,000/- per month will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the subscribers.

**6. What is the benefit in joining APY scheme?**

In APY, Government will co-contribute 50% of the total contribution or Rs. 1,000/- per annum, whichever is lower, to the eligible APY account holders who join the scheme before 31<sup>st</sup> December, 2015. The Government co-contribution will be given for 5 years from FY 2015-16 to 2019-20.

**7. How are the contributions of APY invested?**



The contributions under APY are invested as per the investment guidelines prescribed by Ministry of Finance, Government of India. The APY scheme is administered by PFRDA/GOVERNMENT.

**8. What is the procedure for opening APY Account?**

- i Approach the bank branch where individual's savings bank account is held.
- ii Fill up the APY registration form.
- iii Provide Aadhaar/Mobile Number.
- iv Ensure keeping the required balance in the savings bank account for transfer of monthly contribution.

**9. Whether Aadhaar Number is compulsory for joining the scheme?**

It is not mandatory to provide Aadhaar number for opening APY account. However, For enrolment, Aadhaar would be the primary KYC document for identification of beneficiaries, spouse and nominees to avoid pension rights and entitlement related disputes in the long-term.

**10.Can I open APY Account without savings bank account?**

No. For joining APY, savings bank account is mandatory.

**11.What is the mode of contribution to the account?**

All the contributions are to be remitted monthly through auto-debit facility from savings bank account of the subscriber.

**12.What is the due date for monthly contribution?**

526



The due date for monthly contribution will be as per the initial date of deposit of contribution into APY.

**13. What will happen if required or sufficient amount is not maintained in the savings bank account for contribution on the due date?**

Non-maintenance of required balance in the savings bank account for contribution on the specified date will be considered as default. Banks are required to collect additional amount for delayed payments, such amount will vary from minimum Re 1 per month to Rs 10/- per month as shown below:

- i. Re. 1 per month for contribution upto Rs. 100 per month.
- ii. Re. 2 per month for contribution upto Rs. 101 to 500/- per month.
- iii. Re 5 per month for contribution between Rs 501/- to 1000/- per month.
- iv. Rs 10 per month for contribution beyond Rs 1001/- per month.

Discontinuation of payments of contribution amount shall lead to following:

- After 6 months account will be frozen.
- After 12 months account will be deactivated.
- After 24 months account will be closed.

Subscriber should ensure that the Bank account to be funded enough for auto debit of contribution amount.

The fixed amount of interest/penalty will remain as part of the pension corpus of the subscriber.

**14. How much should I invest in APY to get the guaranteed pension of Rs. 1000?**

Age of Joining	Years of Contribution	Indicative Monthly contribution
18	42	42
20	40	50
25	35	76
30	30	116
35	25	181
40	20	291



All the contributions are to be remitted monthly through auto debit facility from savings bank account of the subscriber.

\*For detailed age wise contribution refer **Annexure 1**.

**15. Is it required to furnish nomination while joining the scheme?**

Yes. It is mandatory to provide nominee details in APY account. The spouse details are also mandatory wherever applicable. Their aadhaar details are also to be provided.

**16. How many APY accounts I can open?**

A subscriber can open only one APY account and it is unique.

**17. Will there be any option to increase or decrease the monthly contribution for higher or lower pension amount?**

The subscribers can opt to decrease or increase pension amount during the course of accumulation phase, as per the available monthly pension amounts. However, the switching option shall be provided once in year during the month of April.

**18. What is the withdrawal procedure from APY?**

**A. On attaining the age of 60 years:**

The exit from APY is permitted at the age with 100% annuitisation of pension wealth. On exit, pension would be available to the subscriber.

**B. In case of death of the Subscriber due to any cause:**

In case of death of subscriber pension would be available to the spouse and on the death of both of them (subscriber and spouse), the pension corpus would be returned to his nominee.



**C. Exit Before the age of 60 Years:**

The Exit before age 60 would be permitted only in exceptional circumstances, i.e., in the event of the death of beneficiary or terminal disease.

**19. How will I know the status of my contribution?**

The status of contributions will be intimated to the registered mobile number of the subscriber by way of periodical SMS alerts. The Subscriber will also be receiving physical Statement of Account.

**20. Will I get any statement of transactions?**

Yes. Periodic statement of APY account will be provided to the subscribers.

**21. If I move my residence/city, how can I make contributions to APY account?**

The contributions may be remitted through auto debit uninterruptedly even in case of dislocation.

**22. What will happen to existing subscribers in Swavalamban Yojana?**

- All the registered subscribers under Swavalamban Yojana aged between 18-40 yrs will be automatically migrated to APY with an option to opt out. However, the benefit of five years of Government Co-contribution under APY would be available only to the extent availed by the Swavalamban subscriber already. This would imply that if, as a Swavalamban beneficiary, he has received the benefit of government Co-Contribution of 1 year, then the Government co-contribution under APY would be available only for 4 years and so on. Existing Swavalamban beneficiaries opting out from the proposed APY will be given Government co-contribution till 2016-17, if eligible, and the NPS Swavalamban continued till such people attain the age of exit under that scheme.



- Other subscribers above 40 years who do not wish to continue may opt out of the scheme with lump sum withdrawal.
- Subscribers above 40 years may also opt to continue till the age of 60 years and eligible for annuities.
- The existing Swavalamban scheme may be automatically migrated to APY

### Indicative APY Contribution Chart (Agewise)

### Annexure 1.

Age of Entry	Years of Contribution	Monthly pension of Rs. 1000.	Monthly pension of Rs. 2000.	Monthly pension of Rs. 3000.	Monthly pension of Rs. 4000.	Monthly pension of Rs. 5000.
18	42	42	84	126	168	210
19	41	46	92	138	183	228
20	40	50	100	150	198	248
21	39	54	108	162	215	269
22	38	59	117	177	234	292
23	37	64	127	192	254	318
24	36	70	139	208	277	346
25	35	76	151	226	301	376
26	34	82	164	246	327	409
27	33	90	178	268	356	446
28	32	97	194	292	388	485
29	31	106	212	318	423	529
30	30	116	231	347	462	577

530



31	29	126	252	379	504	630
32	28	138	276	414	551	689
33	27	151	302	453	602	752
34	26	165	330	495	659	824
35	25	181	362	543	722	902
36	24	198	396	594	792	990
37	23	218	436	654	870	1,087
38	22	240	480	720	957	1,196
39	21	264	528	792	1,054	1,318
40	20	291	582	873	1,164	1,454

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)-अटल पेंशन योजना

1. पेंशन क्या है? मुझे उसकी आवश्यकता क्या है?

पेंशन लोगों को उस समय मासिक आय उपलब्ध कराती है जब वे कोई अर्जन नहीं कर रहे होते। पेंशन की आवश्यकता :

- आयु के साथ आय अर्जन सम्भावना/क्षमता का घट जाना
- एकल परिवारों में वृद्धि-अर्जक सदस्यों का पलायन (छोड़कर चले जाना)
- जीवनस्तर का महंगा होना
- चिरायु होना

निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित करती है।

2. अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना<sup>1</sup>(एपीवाई) भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रूपये, 2000/- रूपये, 3000/- रूपये, 4000/- रूपये और 5000/- रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

3. एपीवाई का अभिदान कौन कर सकता है?

भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

- (i) अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- (ii) उसका एक बचत बैंक खाता होना चाहिए/उसे एक बैंक बचत बैंक खाता खोलना चाहिए।
- (iii) सम्भावित आवेदक के पास मोबाइल नम्बर होना चाहिए तथा उसका विवरण पंजीकरण के दौरान बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

- उन अभिदाताओं के लिए जोकि योजना में 1 जून, 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान शामिल होते हैं तथा जो किसी अन्य



सांविधिक, सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा कवर नहीं होते हैं और आयकरदाता नहीं हैं, के लिए सरकार का सह-अंशदान 5 वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 तक उपलब्ध है।

4. एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी कौन नहीं हैं?

सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे:

i. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

ii. कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948

iii. नाविक भविष्य - निधि अधिनियम, 1966

iv. दि असम टी प्लांटेशनस प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड स्कीम एक्ट, 1955

v. जम्मू एवं कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961

vi. कोई अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना

5. एपीवाई के तहत कितनी पेंशन मिलेगी?

अभिदाताओं द्वारा अंशदानों के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रुपये, 2000/- रुपये, 3000/- रुपये, 4000/- रुपये और 5000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

6. एपीवाई योजना में शामिल होने पर क्या लाभ है?

एपीवाई में सरकार 1 जून, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान योजना में शामिल हुए पात्र एपीवाई खाता धारकों को कुल अंशदान का 50% अर्थात् 1000/- रुपये प्रतिमाह में जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। सरकारी सह-अंशदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

7. एपीवाई के अंशदान कैसे निवेश किया जाता है?

एपीवाई के अंतर्गत अंशदान का वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिदेशों के अनुसार किया जाता है।

8. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

- i बैंक शाखा से सम्पर्क करें जहां पर व्यक्ति का बचत बैंक खाता है।
- ii एपीवाई पंजीकरण प्रपत्र भरें।
- iii आधार/मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं।
- iv मासिक अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाता में अपेक्षित शेष राशि रखना सुनिश्चित करें।

9. क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार नम्बर अनिवार्य है?

एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। तथापि, नामांकन के लिए दीर्घावधि में पेंशन अधिकार तथा हकदारी से संबंधित विवादों से बचने के लिए लाभार्थियों, उसके पति/पत्नी एवं नामितियों की पहचान के लिए आधार मुख्य के वाई सी दस्तावेज होगा।

10. क्या मैं बचत बैंक खाता के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूँ?

नहीं। एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता अनिवार्य है।

11. खाते में अंशदान का क्या तरीका है?

सभी अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाता से स्वतः नामे सुविधा के जरिए मासिक विप्रेषित किए जाने हैं।

12. मासिक अंशदान की देय तिथि क्या है?

मासिक अंशदान की देय तिथि एपीवाई में अंशदान को जमा करने की आरम्भिक तारीख के अनुसार होगी।

13. देय तिथि को अंशदान के लिए बचत बैंक खाते में अपेक्षित अथवा पर्याप्त राशि बनाए न रखने पर क्या होगा?

विनिर्दिष्ट तारीख को अंशदान के लिए बचत बैंक खाता में अपेक्षित शेष राशि न बनाए रखना चूक माना जाएगा। बैंकों को विलम्ब से किए गए भुगतान की अतिरिक्त राशि एकत्र करना अपेक्षित है, ऐसी राशि न्यूनतम 1/- रुपया प्रतिमाह से 10/- रुपया प्रतिमाह निम्नानुसार भिन्न होगी :

- i 100/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 1/- रुपया प्रतिमाह
- ii 101/- रुपये से 500/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 2/- रुपया प्रतिमाह
- iii 501/- रुपये से 1000/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 5/- रुपया प्रतिमाह
- iv 1001/- रुपये प्रतिमाह तक अंशदान के लिए 10/- रुपया प्रतिमाह

अंशदान राशि का भुगतान बंद कर दिए जाने से निम्नलिखित होगा:-

- \* 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- \* 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- \* 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

अभिदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक खाते में अंशदान राशि के स्वतः नामे डालने के लिए पर्याप्त निधि हो।

ब्याज/दंड की निर्धारित राशि अभिदाता के पेंशन कार्ड के भाग के रूप में बनी रहेगी।

14. मुझे 1000/- रुपये की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करने के लिए एपीवाई में कितना निवेश करना चाहिए।

	जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	संकेतक मासिक अंशदान (रुपये में)
अंशदाता के बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के द्वारा मासिक	18	42	42
	20	40	50
	25	35	76
	30	30	116
	35	25	181
	40	20	291

आधार पर सभी प्रकार की अंशदान राशि प्रेषित कर दी जाएगी।

15. योजना में शामिल होते समय क्या नामांकन देना भी जरूरी है?

हां, एपीवाई खाते में नामिति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। पति/पत्नी का ब्यौरा भी, जहां लागू हो, देना अनिवार्य है। उनके आधार-कार्ड का ब्यौरा भी उपलब्ध करवाया जाए।

16. मैं कितने एपीवाई खाते खोल सकता/सकती हूं?

कोई भी अंशदाता केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है और यह एकमात्र होगा।

17. क्या ऐसा कोई विकल्प होगा, जिसमें उच्चतर अथवा निम्नतर पेंशन खाते के लिए मासिक अंशदान की राशि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकेगा।

संचयन चरण के दौरान अंशदाता अपने पास उपलब्ध मासिक पेंशन राशि के अनुसार अपने पेंशन राशि को बढ़ाने एवं घटाने का विकल्प ले सकता है। तथापि, वर्ष में केवल एक बार अप्रैल माह के दौरान ही यह विकल्प उपलब्ध होगा।

18. एपीवाई से राशि आहरण की प्रक्रिया क्या है?

(क) 60 वर्ष की आयु होने पर

एपीवाई योजना के अंतर्गत उक्तानुसार आयु होने पर ही पेंशन के 100% वार्षिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तदनन्तर अंशदाता को पेंशना प्राप्त होगी।

(ख) किसी भी कारण से अंशदाता की मृत्यु के मामले में

अंशदाता की मृत्यु पर संबंधित पेंशन उसकी पत्नी/पति को मिलेगी तथा दोनों की (अंशदाता और पति/पत्नी) की मृत्यु होने पर पेंशन राशि उनके नामिति को लौटा दी जाएगी।

536  
(ग) 60 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले योजना छोड़ना

60 वर्ष की आयु से पहले ही योजना को छोड़ने की अनुमति केवल अपवादात्मक परिस्थितियों यथा लाइलाज बीमारी अथवा हिताधिकारी की मृत्यु पर ही अनुमति दी जाएगी।

19. मैं अपने अंशदान के बारे में कैसे जान सकूंगा/सकूंगी?

अंशदाता को समय-समय पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर अंशदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। अंशदाता को खाते की विवरणी की प्रति भी प्रेषित की जाएगी।

20. क्या मुझे अपने लेन-देन की विवरणी प्राप्त होगी?

हां, एपीवाई खाते की आवधिक विवरणी अंशदाता को उपलब्ध करवायी जाएगी।

21. यदि मैं अपना आवास/शहर बदल कर कहीं और जाता/जाती हूं तो मैं अपने एपीवाई खाते में अपना अंशदान कैसे कर सकूंगा/सकूंगी?

स्थान परिवर्तन की स्थिति में अंशदान की राशि ऑटो डेबिट द्वारा निरंतर प्रेषित की जाती रहेगी।

22. स्वावलम्बन योजना के वर्तमान अंशदाताओं का क्या होगा?

स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत 18-40 वर्ष की आयुवर्ग वाले सभी पंजीकृत अंशदाता स्वतः एपीवाई योजना में चयन के विकल्प के आधार पर शामिल हो जाएंगे। तथापि, एपीवाई के अंतर्गत सरकार के पांच वर्ष के सह-अंशदान के लाभ स्वावलम्बन योजना के अंशदाताओं को पहले से ही प्राप्त अंशदान राशि की मात्रा के अनुसार मिलेंगे। यदि स्वावलम्बन हिताधिकारी ने सरकार के सह-अंशदान के 1 वर्ष के लाभ को प्राप्त किया हो तो एपीवाई के तहत सरकार के सह-अंशदान का लाभ 4 वर्ष अथवा उसी प्रकार से प्रदान किया जाएगा। वर्तमान स्वावलम्बन हिताधिकारियों द्वारा प्रस्तावित एपीवाई के विकल्प को न अपनाने की स्थिति में सरकार का सह-अंशदान केवल वर्ष 2016-17 तक ही दिया जाएगा। पात्र होने की स्थिति में एपीवाई स्वावलम्बन

537

तब तक जारी रहेगा जब तक इस योजना के तहत हिताधिकारी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती।

40 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग वाले ऐसे अंशदाता जो इस योजना में शामिल नहीं रहना चाहते हो, वे इस योजना के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त करके इसे छोड़ सकते हैं।

40 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग वाले अंशदाता 60 वर्ष की आयु होने तक इसे जारी रख सकते हैं और वार्षिकी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान स्वावलम्बन योजना को स्वतः एपीवाई में शामिल कर लिया जाएगा।